कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, गार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नया रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

(18)

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–934/ 1755 रायपुर, दिनांक 26/07/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषय :– **Diversion of 15.690 ha. of Forest land/Orange Forest land and Revenue Forest land under Forest Conservation Act 1980, in favour of Executive Deputy Genral Manager (Project) , GAIL (India) Limited for non-forestry work "laying of the Gas Pipeline and O.F.C., 18-inch diameter natural gas under Khairagarh, Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa and Raigarh Forest Division of Raigarh District in the State of Chhattisgarh"-reg.**
पंजीयन क्रमांक– FP/CG/Other/154619/2022

संदर्भः–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्र./ FC-II/IROCH-20/2023/1414 दिनांक 24-05-2023
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–09/ 2023/ 10–2 दिनांक 07.06.2023
3. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक / तक अधि/ 5203 दिनांक 25.07.2023

–0–

विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर के संदर्भित पत्र – 1 द्वारा "laying of the Gas Pipeline and O.F.C., 18-inch diameter natural gas under Khairagarh, Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa and Raigarh Forest Division of Raigarh District" हेतु प्रभावित कुल 15.690 है. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु Executive Deputy Genral Manager (Project) , GAIL (India) Limited को प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र–3 के माध्यम से प्रेषित किया है। बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:–

वि. क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का Undertaking संलग्न है।
ii	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval;	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु रायपुर वनमंडल के अंतर्गत ग्राम भलेरा खसरा क्रमांक 926 की भूमि में से 18.000 है. शासकीय राजस्व भूमि प्रस्तावित की गई थी। इस भूमि को वन विभाग के नाम पर नामांतरित एवं हस्तांतरित करने की कार्यवाही कलेक्टर रायपुर द्वारा की जा रही है। आवेदक

DC

		संस्थान द्वारा पालन प्रतिवेदन दिया गया है कि अंतिम चरण की स्वीकृति के पूर्व हस्तांतरण आदेश वनमंडल अधिकारी रायपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जावेगा ताकि वे उक्त शासकीय राजस्व भूमि को वनभूमि घोषित करने संबंधी अधिसूचना प्रकाशन की कार्यवाही कर सके। कलेक्टर रायपुर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है।
iii	Compensatory afforestation : Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 18.00 ha. non-forest land in Patwari Halka no. 62, Khasrah no. 962 at Bhalera village, Teh.- Arang, in Atal Nagar, Nava Raipur, Range in Raipur District. Suitability certificate has been submitted by DFOs concerned. Certificate to defray the cost of CA has been submitted by the User Agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species along with 10% RET species of Raipur District shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The User agency shall make necessary facility/ construction in the area to meet the water requirement for plantation and for wild animals throughout the year;	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु रायपुर वनमंडल के अंतर्गत ग्राम भलेरा खसरा क्रमांक 926 की भूमि में से 18.000 हे. शासकीय राजस्व भूमि प्रस्तावित की गई थी। यह भूमि वन विभाग के नाम पर आवेदक संस्थान द्वारा नामांतरित एवं हस्तांतरित करने के उपरांत अधिरोपित शर्तों का पालन करते हुए क्षतिपूर्ति रोपण का कार्य रायपुर वनमंडल द्वारा किया जावेगा।
iv	The cost of compensatory afforestation al the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision fof anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित 18.000 हे. शासकीय राजस्व भूमि में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने के संबंध में वर्ष 2023–24 के लिये निर्धारित दर 966666/– रू. प्रति हे. के मान से 18.000 हे. के लिये राशि 17399988/– रू. कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़ नई दिल्ली के कैम्पा खाता में वेब पोर्टल पर ई–चालान जनरेट कर उक्त राशि जमा करा दी गई है। चालान की प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है।
v	NPV: a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.690 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006, letter No. 53/2007-FC dated 05/02/2009, letter No. 5-3/2011- FC (Vol-I) dated 06.01.2022 and letter No. 5-3/2011-	a) प्रकरण में व्यपवर्तित की जाने वाली 15.690 हे. में से वन/नारंगी वनभूमि का रकबा 11.651 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य की राशि 1228590/– रू. प्रति हे. के मान से राशि 14314302/– रू. तथा राजस्व वनभूमि का रकबा 4.039 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य की राशि 957780/– प्रति हे. के मान से राशि 4008211/– रू. कुल राशि 18322513/– रू. कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़ नई दिल्ली के कैम्पा खाता में वेब पोर्टल पर ई–चालान के माध्यम से

	FC(V01-1) dated 22.03.2022 in this regard; b) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India *on* receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	जमा करा दिया गया है। चालान की प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है। b) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के बाद यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के दर में परिवर्तन किया जाता है तो अंतर की मांग की गई राशि को आवेदक संस्थान द्वारा निर्धारित बैंक खाते में जमा कराया जावेगा, से संबंधित वचन दिया गया है।
vi	The User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department; maximum numbers of trees in 10 meters RoW will be kept intact. A detailed report in this regard shall be submitted to IRO, Raipur, MoEF&CC along with Stage- I compliance report;	(1) प्रकरण में खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत वनभूमि के 1271 एवं राजस्व वनभूमि के 21 कुल 1292 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। इसके विदोहन हेतु मांग की गई राशि 423073/– रूपये का डी.डी. क्रमांक 000696 दिनांक 28.06.2023 द्वारा वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में जमा करा दी गई है। प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है। (2) प्रकरण में जॉजगीर–चांपा वनमंडल के अंतर्गत वनभूमि के 237 वृक्ष एवं 01 नग बांसभिर्रा प्रभावित हो रहे है। इसके विदोहन हेतु मांग की गई राशि 625795/– रूपये का डी.डी. क्रमांक 000697 दिनांक 28.06.2023 द्वारा वनमंडल अधिकारी जॉजगीर–चांपा के कार्यालय में जमा करा दी गई है। प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है। (3) प्रकरण में रायगढ़ वनमंडल के अंतर्गत वनभूमि के 371 नग वृक्ष प्रभावित हो रहे है। इसके विदोहन हेतु मांग की गई राशि 81608/– रूपये का डी.डी. क्रमांक 000698 दिनांक 28.06.2023 द्वारा वनमंडल अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में जमा करा दी गई है। प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है। उपरोक्त वनमंडलों के वृक्ष विदोहन की राशि संबंधित वनमंडल अधिकारियों द्वारा पी.डी. खाते में जमा करा दी गई है।
vii	After completion of the project, the number of trees in the RoW of 10 meters shall be re-confirmed by the State Forest Department and damage, if any, shall be reported to the Regional Office. Forest land shall be handed over to the User Agency after re-confirmation of the number of pre-enumerated trees.	आवेदक संस्थान को अधिरोपित शर्तें मान्य है। निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।
viii	To improve the Forest/ Tree cover and to reduce pollution in the State, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection)	इस शर्त के अनुसार 181 ग्रामों की भूमि प्रभावित हो रही है। प्रत्येक ग्राम में बांस, फलदार, औषधीय एवं

	Act, 1986 respectively, the User Agency with involvement of Joint Forest Management Committees (JFMC's) and in consultation with local DFOs shall raise at least 1000 tall seedlings for each of the 183 villages, of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local species. At least 50% of seedlings shall be planted in the vicinity of project area and remaining 50% of seedlings shall be distributed among villagers as per choice of villagers. The concerned JFMC's shall maintain record of plantation/ seedling distribution to villagers;	अन्य वानिकी प्रजातियों के कम से कम 1000 पौधों का रोपण का कार्य आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जाना है। जिसमें से 50: पौधे परियोजना क्षेत्र के आसपास लगाये जावेगे तथा शेष 50% पौधे ग्रामीणों की पसंद के अनुसार ग्रामीणों के बीच वितरित किये जाएंगे। 181 ग्रामों में कुल 1000 नग पौधों के मान से 181000 नग पौधे तैयार किया जाना प्रस्तावित है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छ.ग. रायपुर के आदेश क्रमांक/वि. यो./बजट/08 दिनांक 10.04.2023 द्वारा पौधा तैयारी हेतु प्रति पौधा 23/– रू. निर्धारित किया गया है। इस मान से 181000 नग पौधे तैयार करने हेतु 4163000/– रूपये का मांगपत्र दिया गया था। जिसका डी.डी. तैयार कर संबंधित वनमंडल में जमा करा दिया गया है. वनमंडलवार प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित विवरण निम्नानुसार है :– 1. खैरागढ़ वनमंडल–44 ग्राम पौधा संख्या 44000 राशि 1012000/– रू. डी.डी. क्र. 000699 दि. 28.6.2023 2. जॉजगीर–चांपा वनमंडल–52 ग्राम पौधा संख्या 52000 राशि 1196000/– रू. डी.डी. क्र. 000700 दि. 28.6.2023 3. कोरबा वनमंडल – 07 ग्राम पौधा संख्या 7000 राशि 161000/– रू. डी.डी. क्र. 000701 दि. 28.6.2023 4. रायगढ़ वनमंडल– 48 ग्राम पौधा संख्या 48000 राशि 1104000/– रू. डी.डी. क्र. 000702 दि. 28.6.2023 5. बिलासपुर वनमंडल–30 ग्राम पौधा संख्या 30000 राशि 690000/– रू. डी.डी. क्र. 000703 दि. 28.6.2023 उपरोक्त वनमंडलों में दर्शित ग्रामों में रोपण किये जाने वाले पौधों की राशि संबंधित वनमंडल अधिकारियों द्वारा पी.डी. खाते में जमा करा दी गई है।
ix	The user agency in consultation with State Forest Department shall prepare a scheme for the plantation of dwarf species trees/ medicinal plants that may be grown in the ROW as per the norms	इस शर्त के अनुसार व्यपवर्तित की जाने वाली 15.690 है. भूमि की चौड़ाई 10 मीटर अर्थात ROW की सीमा के अंदर बौने प्रजातियों के

	Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG), Govt. of India, which is not hampering the Safety and maintenance of the pipeline. The same shall be submitted to Integrated Regional Office along with Stage- I compliance report;	पेड़ो/औषधीय पौधों का रोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रति हे. निर्धारित दर राशि 966666/– प्रति हे. के मान से मांग की गई राशि 15166990/– रूपये कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़ नई दिल्ली के कैम्पा खाता में वेब पोर्टल पर ई–चालान जनरेट कर जमा करा दिया गया है। प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न है।
x	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/);	इस शर्त के पालन में दिये गये निर्देशानुसार वांछित मांग की गई राशि ई चालान जनरेट कर निर्धारित कैम्पा खाता में जमा करा दी गई है। जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति अधिरोपित शर्त कंडिका (iv), (v) एवं (viii) के साथ संलग्न किया गया है।
xi	The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule-9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022;	वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत व्यपवर्तित की जाने वाली वनभूमि के संबध में ग्रामसभा का ठहराव प्रस्ताव एवं कलेक्टर द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण–पत्र अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रलय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 की कंडिका 6 (ख) (ii) के प्रावधान अनुसार जमा कराये जाने का आवेदक संस्थान द्वारा Undertaking दिया गया है, जो संलग्न है।
xii	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipe line the ground will be leveled;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का Undertaking संलग्न है।
xiii	*User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;*	प्रकरण में भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। छायाप्रति संलग्न है।
xiv	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का Undertaking संलग्न है।
xv	No labour camp shall be established in the forest land;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का Undertaking संलग्न है।
xvi	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का Undertaking संलग्न है।
xvii	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost,	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का

	as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	Undertaking संलग्न है।
xviii	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का Undertaking संलग्न है।
xix	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का Undertaking संलग्न है।
xx	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का Undertaking संलग्न है।
xxi	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का Undertaking संलग्न है।
xxii	Violation of any ofthese conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का Undertaking संलग्न है।
xxiii	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time, in the interest of conservation, protection and development offorests & wildlife;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का Undertaking संलग्न है।
xxiv	The compliance report shall be uploaded one-portal (https://parivesh.nic.in/).	आवेदक संस्थान द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड करने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार (02 प्रति में)

(प्र.मु.व.स. द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–934/ 1756 **रायपुर, दिनांक** 26/07/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, नवा रायपुर। प्रस्तावित वन क्षेत्र में खड़े 1900 वृक्षों (खैरागढ़ 1292, जांजगीर–चांपा 237 एवं रायगढ़–371) के विदोहन हेतु प्रस्ताव में संलग्न वृक्ष विदोहन योजना अनुसार अनुशंसा की जाती है।
2. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग / बिलासपुर वृत्त, छत्तीसगढ़।

– एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 24.05.2023 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।

– वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमति प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारियों के पी.डी खाते में वृक्षों के विदोहन हेतु जमा राशि के आहरण की अनुमति पृथक से भू–प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।

3. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. वन मंडलाधिकारी (नोडल), खैरागढ़ वन मंडल, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।
5. वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
6. वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
7. वनमंडलाधिकारी, कोरबा, वनमंडल, कोरबा, छत्तीसगढ़।
8. वनमंडलाधिकारी, जांजगीर–चांपा, वनमंडल, जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।
9. वनमंडलाधिकारी, रायगढ़, वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
10. वनमंडलाधिकारी, रायपुर, वन मंडल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
11. उप महाप्रबंधक (परियोजना), गेल इंडिया लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़।

(124)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़